निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर ।

क्रमांक : एफ 24 ( ) लेखा–ए/अनु/निकाशि/ 2011–12/1365-1435 दिनांक 26-12-11

सचिव,
प्रबन्ध समिति,
समस्त अनुदानित महाविद्यालय।

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.ए. (सिविल) नं. 10227/2009 में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2011 के क्रम में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.ए. (सिविल) नं. 10227/2009 में पारित निर्णय दिनांक 20.10.2011 की पालना में केन्द्र सरकार की योजना/आदेश दिनांक 17.06.1987 एवं 27.07.98 को लागू किया जाकर, अनुदानित महाविद्यालयों में कार्यरत सभी टीचर्स/लैक्चरर/प्रोफेसर्स/रीडर्स को देय वेतन की गणना कर भुगतान किया जाना है, यदि पूर्व में भुगतान नहीं किया गया हो।

अतः इस सम्बन्ध में संलग्न प्रपत्र संख्या 1 से 3 में वांछित सूचना दिनांक 30.01.2012 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत करावें। नियत दिनांक तक सूचना प्रस्तुत नहीं की जाने की स्थिति में समस्त दायित्व संस्था प्रबन्धन का होगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

निदेशक
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक : एफ 24 ( ) लेखा–ए/अनु/निकाशि/ 2011–12/1436-1451 दिनांक 26-12-11

प्रतिलिपि निम्न को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव निदेशक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
3. उप विधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (अनुदान) कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
5. श्री धीरेन्द्र देवर्षी, व्याख्याता को वॅबसाइट पर अपलोड करने हेतु
6. रक्षित पत्रावली ।

मुख्य लेखाधिकारी
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

प्रपत्र सं. 1.

संस्था का नाम .....

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.10.2011 की पालना में चौथा वेतनमान (यू.जी.सी) लागू किये जाने से पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का विवरण

क्रम सं.	नाम कर्मचारी	पदनाम मय विषय	नियमित नियुक्ति दिनांक	स्वीकृत पद की दिनांक	दि. 1.1.86 से 31.3.90 तक की देय राशि	1.4.90 से 31.12.95 तक देय राशि	कुल योग (कॉलम सं. 6 व 7 का)	कर्मचारी को भुगतान की गई राशि	शेष भुगतान योग्य राशि (8–9)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	योग									

नोट – 1. कॉलम संख्या 5 में जिस दिनांक से पद स्वीकृत किया गया है उक्त दिनांक का अंकन किया जाना है एवं सत्यपनार्थ विभाग द्वारा स्वीकृत पदो के आदेश के प्रति संलग्न की जानी है।

2. कॉलम संख्या 6 व 7 की सत्यापनार्थ कर्मचारी वाईज अन्तर विवरण तालिका तैयार करवाई जाकर संलग्न की जानी है।

(1) अन्तर विवरण तालिका में भुगतान योग्य राशि में चौथे वेतनमान लागू किये जाने पर देय वेतन एवं उस पर प्रचलित दरों से देय भत्तों की गणना कर दर्शाया जाना है।

(2) अन्तर विवरण तालिका में भुगतान की जा चुकी राशि में चौथे वेतनमान लागू नहीं किये जाने की स्थिति में देय वेतन एवं उस पद प्रचलित दरों से देय भत्तों की की गणना कर दर्शाया जाना है।

3. दिनांक 2.1.86 से 31.12.95 के दौरान स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की सूचना इसी प्रारूप में पृथक से तैयार की जानी है।

हस्ताक्षर

प्रबन्ध सचिव

प्रपत्र सं. 2.

संस्था का नाम .....

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.10.2011 की पालना में पॉचवां वेतनमान (यू.जी.सी) लागू किये जाने से पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का विवरण

क्रम सं.	नाम कर्मचारी	पदनाम सह विषय	नियमित नियुक्ति दिनांक	स्वीकृत पद की दिनांक	दि. 1.1.96 से 31.3.2000 तक की देय राशि	1.4.2000 से 31.12.05 तक देय राशि	1.1.06 से 31 7.11 तक देय राशि	कुल योग (कॉलम सं. 6 से 8 का)	कर्मचारी को भुगतान की गई राशि	शेष भुगतान योग्य राशि (9–10)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	योग										

नोट – 1. कॉलम संख्या 5 में जिस दिनांक से पद स्वीकृत किया गया है उक्त दिनांक का अंकन किया जाना है एवं सत्यपनार्थ विभाग द्वारा स्वीकृत पदो के आदेश के प्रति संलग्न की जानी है।

2. कॉलम संख्या 6 से 8 की सत्यापनार्थ कर्मचारी वाईज अन्तर विवरण तालिका तैयार करवाई जाकर संलग्न की जानी है।

(1) अन्तर विवरण तालिका में भुगतान योग्य राशि में पॉचवां वेतनमान लागू किये जाने पर देय वेतन एवं उस पर प्रचलित दरों से देय भत्तों की गणना कर दर्शाया जाना है।

(2) अन्तर विवरण तालिका में भुगतान की जा चुकी राशि में पॉचवां वेतनमान लागू नहीं किये जाने की स्थिति में देय वेतन एवं उस पद प्रचलित दरों से देय भत्तों की की गणना कर दर्शाया जाना है।

3. दिनांक 1.1.96 तक स्वीकृत रिक्त पदों पर एवं इसके पश्चात स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की सूचना इसी प्रारूप में पृथक से तैयार की जानी है।

हस्ताक्षर

प्रबन्ध सचिव

प्रपत्र सं. 3.

संस्था का नाम .....

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 20.10.2011 की पालना में शैक्षणिक कर्मचारियों को दिनांक 27.07.98 से लागू कैरियर एडवान्समेंट स्कीम (सी.ए.एस.) के फलस्वरूप 27.7.98 को अथवा इसके पश्चात देय वरिष्ठ एवं चयनित वेतनमान मान का लाभ दिये जाने से पड़ने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार का विवरण

क्रम सं.	नाम कर्मचारी	पदनाम सह विषय	नियमित नियुक्ति दिनांक	वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृती दिनांक	चयनित वेतनमान स्वीकृती दिनांक	दि. 27.7.98 से 31.3.2000 तक की देय राशि	1.4.2000 से 31.12.05 तक देय राशि	1.1.06 से 31 7.11 तक देय राशि	कुल योग (कॉलम सं. 7 से 9का)	कर्मचारी को भुगतान की गई राशि	शेष भुगतान योग्य राशि (10–11)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	योग											

नोट – 1. कॉलम संख्या 5 व 6 के सम्बन्ध में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा सी.ए.एस. के लिए अनुसंशा की गई दिनांक का अंकन किया जाना है तथा सत्यपनार्थ स्किीनिंग कमेटी की अनुसंशा की प्रति संलग्न की जानी है।

2. कॉलम संख्या 7 से 9 के सत्यापनार्थ कर्मचारी वाईज़ अन्तर विवरण तालिका तैयार करवाई जाकर संलग्न की जानी है।

(1) अन्तर विवरण तालिका में भुगतान योग्य राशि में वरिष्ठ/चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप देय वेतन एवं उस पर प्रचलित दरों से देय भत्तों की गणना कर दर्शाया जाना है।

(2) अन्तर विवरण तालिका में भुगतान की जा चुकी राशि में वरिष्ठ/चयनित वेतनमान स्वीकृत नहीं किये जाने की स्थिति में देय वेतन एवं उस पद प्रचलित दरों से देय भत्तों की की गणना कर दर्शाया जाना है।

3. दिनांक 1.1.96 तक स्वीकृत रिक्त पदों पर एवं इसके पश्चात स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की सूचना इसी प्रारूप में पृथक से तैयार की जानी है।

हस्ताक्षर

प्रबन्ध सचिव